सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00071

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी डा. गुजन सोनी, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 32/2019

1. सतनाम सिंह पुत्र लखा सिंह जाति रायसिंख साकिन खाटलबाना तहसील वा जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार राजस्व, हिन्दुमलकोट

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट का आदेश दिनांक 19.07.2019 जिसकी रूह से अपीलांट को तवान व बेदखली का आदेश दिया गया बमुराद मन्सुख है।

उपस्थित :

1.श्री ओ.पी. बतरा अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री हरवीर सिंह बराड राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश :: **दिनांक :– 17.02.2020**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट की पत्नी द्वारा रकबा खरीद किया है तथा अदालत द्वारा अपीलांट की पत्नी के नाम रजि0 बैयनामा करवा दिया है। रजि0 बैयनामा आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया है तथा रजि0 बैयनामा के आधार पर अपीलांट काबिज चला आ रही है। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाये गये थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अपीलांट का उपरोक्त जमीन पर नजायज कब्जा नहीं है बल्कि खरीददार के आधार पर काबिज है जिससे धारा 23 के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। एक वाद नारायण सिंह पुत्र पंजाब सिह उतराधिकारी द्वारा उप जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया एवं एक वाद अपीलांट की पत्नी द्वारा उप जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया दोनो वाद ही खारिज हो गये जिसके खिलाफ अपील राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की जो विचाराधीन है जब अपील विचाराधीन है तो कानून अपीलांट को जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाये गये मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया। आदेश एक प्रिंट फार्म पर पारित किया गया है जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अपील अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलांट की पत्नी द्वारा रकबा खरीद किया है तथा अदालत द्वारा अपीलांट की पत्नी के नाम रजि0 बैयनामा करवा दिया है। रजि0 बैयनामा आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया है तथा रजि0 बैयनामा के आधार पर अपीलांट काबिज चला आ रही है। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाये गये थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। अपीलांट का उपरोक्त जमीन पर नजायज कब्जा नहीं है बल्कि खरीददार के आधार पर काबिज है जिससे धारा 22 के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता । एक वाद नारायण सिंह पुत्र पंजाब सिंह उतराधिकारी द्वारा उप जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया एवं एक वाद अपीलांट की पत्नी द्वारा उप जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया दोनो वाद ही खारिज हो गये जिसके खिलाफ अपील राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की जो विचाराधीन है जब अपील विचाराधीन है तो कानून अपीलांट को जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाये गये मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया। आदेश एक प्रिंट फार्म पर पारित किया गया है जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट का निर्णय दिनांक 19.07.2019 सही है। अपील चलने योग्य नही है जब तावान एवं जुर्माना हो गया है तो अपील चलाने का अब क्या औचित्य है। वर्तमान में भूमि राजकीय है। उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2019 विधि सम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उप तहसील हिन्दुमलकोट के चक 1 जे बड़ा के खाता संख्या 37 के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 4,5,6,7,8/1, 13 ता 18, 19/1, 22,23/1, 24,25 व मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 24/2 व 25 एवंम मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 22 का .253, किला नम्बर 23 का .240 हैक्टर में रकबा राज पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 विधि सम्मत् प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2019 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)